निर्णय ब इजलास राजकुमार कस्वा आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 2 / 2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

गौरी शंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसाद मालू, नरायना, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.07.2023**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि गौरी शंकर मालू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 13.05.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

(अ) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्र क्रमांक:– रा.उ. / भूमि अवाप्ति / 2023 / 1393 दिनांक 04.09.2023 के संलग्न प्राप्त दस्तावेजों पर की गई मार्किंग एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही जो उपखण्ड अधिकारी महोदय एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सांभरलेक द्वारा की गई उसकी सूचना दिलावें।

(ब) उक्त प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सांभरलेक के पत्रांक न.पा.सा. / 2022–23 / 1208 दिनांक 26.07.2023 व उसके संलग्न समस्त दस्तावेजों की सूचना दिलावें तथा नगरपालिका नरायना से प्राप्त पत्र दिनांक 16.5.2023 व उसके संलग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावें।

(स) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांभरलेक व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नरायना से प्राप्त पत्रों पर उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सांभरलेक द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना दिलावें।

(द) दूदू नरायना सांभर से भाटीपुरा (राज्य मार्ग संख्या –2) के उक्त प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार तहसील फुलेरा मु. सांभरलेक द्वारा समय–समय पर जिला स्तर को व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक तथा उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सांभरलेक को भेजी गई जांच रिपोर्ट की सूचना दिलावें।

(य) उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को गौरीशंकर मालू नरायना द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 3.10.2023 जो दिनांक 4.10.2023 को कार्यालय डाक में दिया गया उसकी

प्रति/सूचना दिलावें तथा इस पर की गई मार्किंग व कार्यवाही की सूचना भी दिलावें।

(र) उक्त प्रकरण (दूदू से भाटीपुरा) प्रस्तावित स्टेट हाईवे के संबंध में जो पत्रावली कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सांभरलेक के यहां संधारित है उसकी समस्त नोटशीटों की सूचना दिलावें।

(ल) उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को भूमि अवाप्ति अधिकारी बनाया गया उस राजपत्र प्रकाशन की सूचना दिलावें।

(व) भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के पत्रांक अवाप्ति/123/684 दिनांक 28.03.2023 की सूचना दिलावें।

(श) दूदू नरायना सांभर से भाटीपुरा प्रस्तावित सडक मार्ग के नक्शे में किये गये आमूल चूक परिवर्तन व अन्य अनियमितताओं बाबत कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 30.11.2023 के संबंध में जिला कलक्टर जयपुर के पत्र क्रमांक श.उ./भूमि अवाप्ति/2023/1915 दिनांक 20.12.2023 की सूचना दिलावें तथा इस पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट व आवश्यक कार्यवाही की सूचना दिलावें।

(ष) प्रकरण में वर्ष 2024 में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक/कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सांभरलेक द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग व जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित एवं उनसे प्राप्त समस्त पत्र व्यवहार की सूचना दिलावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से प्राप्त पत्रांक सू.अ./24/723 दिनांक 15.07.2024 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक सू.अ./24/1150 दिनांक 10.06.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। उक्त सूचना से स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त